राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–189/2017/उदयपुर

श्री ओम प्रकाश पिता दीपचन्द जी जाट,
निवासी कालरी, राजगढ, जिला चुरू .... प्रार्थी

बनाम

1. उपंपजीयक खेरवाडा
2. श्री नाथु पिता धनजी मीणा,
   निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. श्री शान्तिलाल पिता धनजी मीणा,
   निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
4. मु0 केसरी बेवा धनजी मीणा,
   निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
5. श्री धर्मा पिता सीगरा जी मीणा,
   निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (फौत)

5/1 श्रीमती नवली बेवा धर्मा जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

5/2 श्री शंभू पिता धर्मा जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

5/3 श्री पन्नालाल पिता धर्मा जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

5/4 श्री बाबू पिता धर्मा जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

5/5 श्री ललित पिता धर्मा जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

5/6 श्रीमती कमू पुत्री धर्मा पत्नी धन जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी इंटालीखेडा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर

5/7 श्रीमती फुली पुत्री धर्मा पत्नी श्री हरीश जी मीणा, उम्र व्यस्क,
निवासी घाटी दरवाजा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अशोक नाथ ....प्रार्थी की ओर से
अभिभाषक

श्री आर.के.खदाव ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
उप–राजकीय अभिभाषक

श्री दुर्गेश्वर शर्मा ...अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4

अनुपस्थित ...अप्रार्थीगण सं. 5/1 से 5/5 व 5/7

तामील प्रक्रियाधीन ...अप्रार्थी सं. 5/6

निर्णय दिनांक : 28.08.2018

२५५

लगातार............2

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 30.11.2006 प्रकरण संख्या 58/05 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक खेरवाडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4 व 5 तथा गौतम लाल, मदन लाल पिता सवजी जाति मीणा निवासी ऋषभदेव राणाफला तहसील खेरवाडा ने अपनी लघु उद्योग में परिवर्तनशुदा भूमि क्षेत्रफल 24748 वर्गफीट वाके ग्राम धुलेव नेशनल हाईवे के पास का विक्रय श्री दीपचंद पिता आशाराम के पक्ष में किया जो दिनांक 18.06.2002 को पंजीबद्ध कर संबंधित पक्षकार को लौटा दिया गया। प्रकरण में महालेखाकार द्वारा यह ऑडिट आक्षेप लिया गया कि भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित होने के कारण औद्योगिक दर से मूल्यांकन किया गया है व बाद में वर्ष 2002 में श्री दीपचंद द्वारा फिलिंग स्टेशन स्थापित किया गया तथा उस भूमि के लिए दीपक फिलिंग स्टेशन के नाम से भारत पैट्रोलियम कॉरर्पोरेशन के साथ लीज डीड का निष्पादन करने के बाद दस्तावेज सं. 212 दिनांक 18.06.2002 के द्वारा पंजीयन करवाया गया है अर्थात् 6 माह के अन्तराल में ही फिलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने के समय ही वाणिज्यिक गतिविधियॉ चलाने का इरादा था जिससे भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक दर से किया जाना चाहिए। कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 30.11.2006 द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया है व राशि रू. 6,90,000 की माल वसूली के आदेश दिये है जिसके विरूद्ध प्रार्थी क्रेता पक्ष द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 की ओर से भी उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 5/1 से 5/5 व 5/7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 5/6 की तामील अभी प्रक्रियाधीन है परन्तु प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जा रहा है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि औद्योगिक भूमि औद्योगिक

लगातार............3

प्रयोजनार्थ ही क्रय की गई थी परन्तु बाद में पैट्रोल पम्प के विचार के लिए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने संभावना के आधार पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मानते हुए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने तथा प्रार्थी द्वारा धारा 5 में अंकित कारण संतोषजनक होने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का काई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को पेश हों। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश है कि विक्रेतागण गौतम लाल मदन लाल पिता सवजी जिनको इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है को भी समस्त विक्रेतागण के साथ पक्षकार बनाया जावे एवं समस्त पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया जावे।

12. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम

(नत्थूराम)

सदस्य